(28)

क्रमांक /वन /वन अधि.अधिनि-2006/2011/11685
वन विभाग हिमाचल प्रदेश।

दिनाँक रिकाँग पिओ,से 27/11/15

प्रेषकः- वन मण्डल अधिकारी
किन्नौर वन मण्डल
स्थित रिकाँग पिओ।

प्रेषितः- प्रधान
ग्राम पंचायत यंगपा
तहसील निचार जिला किन्नौर।

विषयः- वाहन योग्य संपर्क मार्ग होमते पुल से मसरंग तक 0-69-81 है0 वन भूमिअनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के अर्न्तगत ग्राम पंचायत यंगपा के नाम हस्तान्तरण करने बारे !

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय में वन परिक्षेत्राधिकारी कटगावं के कार्यालय पत्र संख्या 52 के0 जी0 दिनाँक 23.11.2015 के सन्दर्भ में।

उक्त पत्र के साथ वन परिक्षेत्राधिकारी कटगाव ने ग्राम पंचायत यंगपा तहसील निचार में वाहन योग्य संपर्क मार्ग होमते पुल से मसरंग तक हेतू वन भूमि ख0न0 74/1-78/1-146/1-717/216/1-217/1-569/1/1-742/728/704/689/580/1-742/728/704/689/580/2-678/1-733/708/694/681/1-685/1 किता -1 रकबा तादादी 0-69-81 है0वाका उप महाल मसरंग तहसील निचार जिसके अन्दर पापुलर के-3पेड कायल के-9 पेड छरमा के-5पेड अखरोट का-1 जामुन-1 विलो का-1 राई के-3 कुल 23 पेड विभिन्न क्षेणी के आते हैं जो सडक निर्माण के दौरान काटे जाने हैं सूची अलग से संलग्न है। को अनुसूचित जन जाती एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारो की मान्यता 2006 की धारा 3(2) के अन्तर्गत पूर्ण छानबीन मौका तथा संलग्न अभिलेख की जाकर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सहित उक्त वन भूमि ग्राम पंचायत यंगपा तहसील निचार को वाहन योग्य संपर्क मार्ग निर्माण हेतू हस्तान्तरण करने की सिफारिश की है। ग्राम सभा यांगपा ने भी उक्त वन भूमि को हस्तान्तरण करने की सिफारिश की है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों के सिफारिश तथा ग्राम सभा यांगपा द्वारा पारित प्रस्ताव को मध्य नजर रखते हुए अधोहस्ताक्षरी उक्त वन भूमि ख0न0 74/1-78/1-146/1-717/216/1-217/1-569/1/1-742/728/704/689/580/1-742/728/704/689/580/2-678/1-733/708/694/681/1-685/1 किता -1 रकबा तादादी 0-69-81 है0वाका उप महाल मसरंग तहसील निचार को जनहित में वाहन योग्य संपर्क मार्ग निर्माण हेतू अनुसूचित जन जाती एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारो की मान्यता 2006 की धारा 3(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त भूमि हस्तान्तरण करने का अनुमोदन नियम शर्तो के आधार पर करता हूँ।

1. वन भूमि ख0न0 74/1-78/1-146/1-717/216/1-217/1-569/1/1-742/728/704/689/580/1-742/728/704/689/580/2-678/1-733/708/694/681/1-685/1 किता -1 रकबा तादादी 0-69-81 है0वाका उप महाल मसरंग तहसील निचार खाता खतौनी न0 142/181 मिन जमाबन्दी वर्ष 2008-2009 के अनुसार मलकीयत सरकार तथा कब्जा ग्राम सभा यांगपा के नाम दर्ज होगा।
2. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) में हस्तान्तरण की जाने वाली वन भूमि में 23 पेड़ों को काटने का प्रावधान है उन पेड़ों की कटान प्रधान मुख्य अरण्यपाल के कार्यालय पत्र संख्या Ft.48 G6/83(m)dated 20.2.1995 के आधार पर की जाएगी। जब तक पेड़ों की कटान का कार्य मुकम्मल नहीं होता है तब तक लोक निर्माण विभाग कार्य आरम्भ नहीं करेगा। ना ही सड़क निर्माण के दौरान हस्तान्तरण की जाने वाली वन भूमि के बाहर कोई अवैध कटान अथवा अवैध कब्जा करेगा। ग्राम पंचायत यांगपा यदि इस

पत्र के जारी होने के एक वर्ष के अन्दर जिस कार्य हेतू भूमि हस्तान्तरण की गई है आरम्भ नही करती है तो विभाग उक्त भूमि वापिस करेगा।

3 ग्राम पंचायत यंगपा उक्त 23 पेडो के बदले में 50पौधे, वयनित वन भूमि के अन्दर लगाएगे तथा उसका 5 वर्षो के अवधि तक देख भाल करेंगे। जब तक पेड़ों के कटान का कार्य मुकम्मल नही होता है तब तक ग्राम पंचायत यंगपा कार्य आरम्भ नही करेगा।

वन मण्डल अधिकारी
किन्नौर वन मण्डल
स्थित रिकाँग पिओ।

पृष्ठांकन संख्या 11686-88 दिनाँक रिकाँग पिओ,से 27/11/15
प्रतिलिपि सेवा में,

1. उपायुक्त जिला किन्नौर स्थित रिकाँग पिओ को सूचनार्थ।
2. पिओ आई0टी0डी0पी0 किन्नौर स्थित रिकाँग पिओ को सूचनार्थ।
3. वन परिश्रेत्राधिकारी कटगांव इस संर्पक सड़क के निर्माण में काटे जाने वाले कुल 23पैड जिस की सूची संलगन है को प्रधान मुख्या अरण्यपाल के कार्यलय पत्र संख्या t.48-66/83(m)dated 20.2.1995 के आधार पर अग्रिम उचित कार्यावाही करेंगे।

वन मण्डल अधिकारी
किन्नौर वन मण्डल
स्थित रिकाँग पिओ।

(51)

क्रमांक/वन/वन अधि० अधि० 2006/2015 12574
वन विभाग हिमाचल प्रदेश।

दिनांक रिकांग पिओ, से 26-12-2015

प्रेषक:- वन मण्डल अधिकारी
किन्नौर वन मण्डल
स्थित रिकाँग पिओ।

प्रेषित:- जिला पंचायत अधिकारी
जिला किन्नौर
स्थित रिकाँग पिओ।

विषय:- **शुद्धि पत्र।**

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय में इस कार्यालय के पत्र संख्या 11686-88 दिनाँक 27.11.2015 के सन्दर्भ में।

उक्त पत्र के द्वारा वाहन योग्य संपर्क मार्ग होमते पुल से मसरंग तक 0-69-81 है0 वन भूमि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत (वन निवासी वन अधिकरो की मान्यता/अधिनियम 2006) की धारा 3(2) के अन्तर्गत ग्राम सभा यंगपा अथवा वन परिक्षेत्र अधिकारी कटगांव के सिफारिश पर प्रधान ग्राम पंचायत यंगपा के नाम वन भूमि वाहन योग्य सडक निर्माण हेतू हस्तान्तरण की गई थी।

मगर अब इस शुद्धि पत्र के द्वारा उक्त संपर्क मार्ग को प्रधान ग्राम पंचायत यंगपा के बजाए जिला पंचायत अधिकारी किन्नौर के नाम जनहित में हस्तान्तरण की जाती है।

वन भूमि हस्तान्तरण केवल खाना काश्त में उपयोग कर्ता विभाग के नाम दर्ज होगा। मलकियत सरकार ही रहेगा।

अतः यह शुद्धि पत्र आज दिनाँक से तुरन्त प्रभाव से जारी होगा।

वन मण्डल अधिकारी
किन्नौर वन मण्डल
स्थित रिकाँग पिओ।

पृष्ठांकन संख्या 12575-79 26-12-2015 दिनाँक रिकाँग पिओ,से 26-12-2015
प्रतिलिपि सेवा में

1. उपायुक्त जिला किन्नौर सूचनार्थ।
2. परियोजना अधिकारी आई०टी०डी० पी० किन्नौर सूचनार्थ।
3. जिला पंचायत अधिकारी किन्नौर स्थित रिकाँग पिओ सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।
4. प्रधान ग्राम पंचायत यंगपा सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।
5. वन परिक्षेत्र अधिकारी कटगांव सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

वन मण्डल अधिकारी
किन्नौर वन मण्डल
स्थित रिकाँग पिओ।

Scanned with OKEN Scanner